HON'BLE THE PRINCIPAL SESSION AND DISTRICT COURT, INDORE

B.A. NO. : SC-1/23 /2023

APPLICANT -- MC BAYLAPPA
S/O LATE Chikkanna Bylaiah
Aged about 61 years,
R/O. N. 83 and 84 Kamath
Residency Chunnanayakanapalya
Doddabidrakallu, Yeshavantapura
Hobli Nagasandra Post
Banglore-560073

IA No. I
28/01/2023

(सुधीर मिश्रा)
न्यायाधीश (सी.बी.आई.)
इन्दौर (म.प्र.)
28/1/23

VERSUS

RESPONDENT-- C.B.I. BHOPAL.

Ist Bail APPLICATION UNDER SECTION 439 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973

PARTICULAR OF CRIME

CRIME NO- RC008202, DA0016/2022

OFFENCE- U/S 120 B, 468, 471, 13 (2),
R/w 13 (1) (d) Prevention of corruption Act

The applicants named above beg to submit as under-

1- That, this is applicant's First Application for anticipatory bail before this Hon'ble Court and no bail application previously filed or decided by any court.

2- That the police of police station Kolgawan has registered a case against the applicants vide crime no. RC008202, DA0016/2022 punishable U/s 120 B, 468, 471, 13(2) R/w 13 (1) (d) Prevention of corruption Act therefore, the applicant has every apprehension that police may arrest them at any time in a non bailable offence.

3- That, the petitioner was working as a General Manager Bank Note press Dewas (SPMCIL) Security printing and

ORDER SHEET [Contd]

SC No. 01/2023

01.02.2022

सी.बी.आई. द्वारा श्री गुफरान अहमद लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त एम.सी.बायलप्पा की ओर से सुश्री भारती शास्त्री अधिवक्ता उपस्थित। उसके द्वारा फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण अभियुक्त एम.सी. मायलप्पा की ओर से से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. (आई.ए.नं. 01) के जवाब एवं तर्क हेतु नियत है।

सी.बी.आई. की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रतिलिपि आवेदक पक्ष को प्रदान की गई।

आवेदक की ओर से प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. होने के समर्थन में स्वयं आवेदन ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं तर्क अनुसार अपराध क्रमांक आरसी008202डीए0016/2022 अंतर्गत धारा 120बी, 468, 471 भा.द.सं. एवं पी.सी.एक्ट की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आवेदक को गिरफ्तार किये जाने की आशंका है। आवेदक बैंक नोट प्रेस, देवास में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा टी.ए. बिल का दुरूपयोग किये जाने के विरूद्ध सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिनटिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सीबीआई को शिकायत की थी, जिस पर से आवेदक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबकि आवेदक ने किसी बिल का दुरूपयोग नहीं किया है, उसके द्वारा ट्रवेल एजेंट से बिल प्राप्त किये गये एवं वही बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये, उसके द्वारा किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक को

अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक की ग्रेच्यूटी में से 4,73,611/– रूपये की वसूली की जा चुकी है तथा आवेदक बैंगलौर का स्थायी निवासी होकर, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके फरार होने की या अभियोजन साक्ष्य प्रभावित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया है कि आवेदक ने लोक सेवक होते हुए, फर्जी टी.ए. बिल के आधार पर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। आवेदक द्वारा वरिष्ठ पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार सहित आर्थिक अपराध किया गया है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। न्यायदृष्टांत जयप्रकश वि. बिहार राज्य (2012) 4 एस.सी.सी. 379 एवं सीबीआई वि. रामेन्दु चट्टोपाध्याय एस.सी. 19.11. 2019 में प्रतिपादित विधि की ओर ध्यान आकृष्ट किया हैं।

अभिलेख के अनुसार डिप्टी सिक्यूरिटी प्रिंटिग एण्ड मिनटिंग कार्पोरेशन नई दिल्ली की लिखित शिकायत पर आवेदक के विरूद्ध धारा 120 बी सहपठित धारा 420, 468, 471 भा.द.सं. एवं धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आक्षेप लगाये गये है कि आवेदक एम.सी. वायलप्पा ने ट्रेवल कम्पनी के साथ आपराधिक षडयंत्र कर स्विजरलैण्ड, वाशिगटन, मलेशिया एवं जर्मनी की कार्यालयीन विदेश यात्रा 2015–2017 के संबंध में कूटरचित एयर टिकिट एवं टी.ए. बिल प्रस्तुत कर भारत सरकार को आर्थिक नुकसान कारित किया।

आवेदक पर यह अभियोग है कि उसने बैंक नोट प्रेस, देवास में जनरल मैनेजर के पद पर पदस्थ रहते हुए,

उसने मामले से संबंधित प्रश्नगत कूटरचित एयर टिकिट ट्रेवल ऐजेंट सहअभियुक्त के साथ आपराधिक षडयंत्र कर प्राप्त किये और उनके आधार पर अवैध रूप से धनराशि प्राप्त कर शासन को नुकसान कारित किया है एवं लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग भी किया हैं। अनुसंधान पश्चात् उसके विरूद्ध धारा 120 बी सहपठित धारा 420, 468, 471 भा.द.सं. एवं धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि आवेदक को अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है, परंतु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वरिष्ठतम पद पर पदस्थापना के दौरान उक्त अपराध करने का अभियोग है। ऐसे मामले में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में इस प्रकार के अपराधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना एवं समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता।

अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. (आई.ए. नं. 01) निरस्त किया जाता है।

आई.ए. नं. 01 का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज किया जाए।

प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।

(सुधीर मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई, इंदौर